ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 162-164
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

जनपद झांसी की अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक समस्यायें

डॉ0 आशीष गौतम
असिस्टेन्ट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, सरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय, पुवायां, शाहजहाँपुर (उ0प्र0), भारत

Received-03.09.2023, Revised-09.09.2023, Accepted-15.09.2023 E-mail: vinay149 78@gmail.com

सारांश: ***धन को एक ऐसी धुरी माना जाता है जिसके चारों ओर व्यक्ति की समृद्धि एवं प्रसन्नता चक्कर लगाती रहती है। सर्वेगुणा कांचनमाश्रयन्ति। जहाँ तक महिलाओं का सन्दर्भ है प्रायः यह देखा गया है कि इनकी अनन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जाती है। कहा भी गया है कि नारी को बाल्यावस्था में अपने पिता के अधीन; युवावस्था में पति के अधीन एवं वृद्धावस्था में सन्तानों के अधीन (नियन्त्रण) में रहना चाहिए। अनुसूचित जाति की महिला होना वैसे भी अनेकानेक समस्याओं का पुँज होता है, फिर धनाभाव के कारण महिलाओं का जीवन अधिक जटिल व समस्याग्रस्त हो जाता है। अनुसूचित जाति की महिला होने की अवस्था में आर्थिक असुरक्षा की स्थिति अनेक व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं इनमें सामाजिक प्रस्थिति का ह्रास अर्थपूर्ण सामाजिक अन्तःक्रियाओं की कमी, सामाजिक एवं नातेदारी–सम्बन्धों का प्रभावित होना तथा अन्तिम समय में अपनी इच्छाओं का दमन करना आदि प्रमुख है।***

कुंजीभूत शब्द– धुरी, प्रसन्नता, सर्वेगुणा कांचनमाश्रयन्ति, ठोस व्यवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, अनुसूचित जाति, आर्थिक असुरक्षा।

आर्थिक समस्याओं के प्रति महिलाओं के विचारों का विवरण– प्रतिचयित महिलाओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या उनके जीवन में आर्थिक समस्यायें हैं अर्थात् क्या वे आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही हैं? इस सन्दर्भ में महिलाओं ने जो विचार व्यक्त किये उन्हें एकत्र कर तालिका संख्या–1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या–1

आर्थिक समस्याओं के प्रति अनुसूचित जाति की महिलाओं के विचार

महिलाओं के विचार	आवृत्ति	प्रतिशत
आर्थिक समस्याओं को अनुभव करती हैं	192	64.00
आर्थिक समस्याओं को अनुभव नहीं करती हैं	108	36.00
कुल योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 64 प्रतिशत महिलायें आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही हैं, जबकि शेष 36 प्रतिशत महिलायें आर्थिक समस्याओं का अनुभव नहीं कर रही हैं यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुछ सुलझे विचारों वाली महिलाओं ने स्पष्ट किया कि माया (धन) का ऐसा जाल है कि व्यक्ति पर कितना ही धन क्यों न हो फिर भी उसे धन की कमी बनी ही रहती है। एक सुखी एवं शान्तिमय जीवन के लिये सबसे बड़ा धन सन्तोष होता है। अपनी परिस्थिति से किसी न किसी रूप में समझौता करना ही पड़ेगा। जितना अपना चद्दर हो उतने ही पैर पसारने में भलाई है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश महिलायें आर्थिक समस्याओं का अनुभव कर रही हैं।

अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक समस्याओं का विवरण– प्रतिचयित महिलाओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि वे भिन्न–भिन्न सन्दर्भों में आर्थिक समस्याओं का अनुभव कर रही है। इस विषय में महिलाओं ने जो तथ्य प्रस्तुत किये, उन्हें संकलित कर तालिका संख्या–2 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या–2

अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक समस्याओं का विचार

क्र.सं.	महिलाओं की आर्थिक समस्यायें	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह करने की समस्या	119	62.00
2.	अपने रोग का उपचार कराने की समस्या	73	38.00
3.	धार्मिक क्रिया-कलापों को सम्पन्न करने की समस्या	50	26.00
4.	परिवार में अपना अस्तित्व स्थापित करने की समस्या	58	30.00

नोटः खुला प्रश्न होने के कारण योग नहीं होगा।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि सर्वाधिक 62 प्रतिशत महिलायें यह मानती है धनाभाव के कारण उनके समक्ष पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह की समस्यायें उत्पन्न होती रहती हैं, जबकि 38 प्रतिशत महिलाओं ने स्पष्ट किया कि विपन्नता के कारण वे सही तरीके से अपने रोगों का उपचार नहीं करा पा रही है। इसके साथ–साथ 31 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि यदि पास में पूँजी नहीं होती हो तो परिवार में कोई पूछ नहीं होती है। मात्र 26 प्रतिशत ऐसी महिलायें हैं, जो यह व्यक्त करती है कि धनाभाव के कारण वे धार्मिक कार्य भी नहीं कर पाती है, जबकि 30 प्रतिशत महिलायें धनाभाव के कारण परिवार में अस्तित्वहीन हैं।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि धनाभाव के कारण प्रतिचयित महिलायें विभिन्न पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह न कर पाने, अपने रोग का सही इलाज न करवा पाने; धार्मिक क्रिया–कलापों को सम्पन्न न कर पाने तथा परिवार में अपना अस्तित्व स्थापित न कर पाने से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं का सामना करती रहती हैं।

वित्तीय संकट से मुक्ति पाने हेतु अनुसूचित जाति की महिलाओं के विचार– जो महिलायें वित्तीय विपन्नता के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करती रहती हैं, उनसे यह जानने का प्रयास किया गया कि इन समस्याओं का निदान करने के लिए वे किन उपायों को अधिक उपयोगी मानती हैं। इस सन्दर्भ में वृद्धाओं ने जो विचार व्यक्त किये उन्हें एकत्र कर तालिका संख्या– 3 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या–3

वित्तीय संकट से मुक्ति हेतु अनुसूचित जाति की महिलाओं के विचारों का विवरण

क्र.सं.	महिलाओं के विचार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	बच्चों से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए	184	61.33
2.	पैतृक सम्पत्ति में वैधानिक हिस्सा होना चाहिए	81	27.00
3.	लोगों द्वारा लिया गया उधार मिल जाये तो अच्छा हो	23	07.66
4.	संसार से विदा होना ही श्रेष्ठ है	58	19.33
5.	सरकार की ओर से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए	154	51.33

नोटः खुला प्रश्न होने के कारण योग नहीं होगा।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 61.33 प्रतिशत महिलायें यह मानती हैं कि अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए परिवार के बच्चों से ही वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी परम्परा रही है। बच्चों के होते हुए हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत है। अगर बच्चें अपने इस कर्त्तव्य का पालन नहीं करते, तो दूसरे लोग हमारी मदद क्यों करें? जबकि 51.33 प्रतिशत महिलायें यह स्पष्ट करती हैं कि जब सरकार राज्य के समस्त कार्यों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराती हैं तो वह हम लोगों के गुजारे के लिए कुछ गुजारा भत्ता क्यों नहीं देती है। शायद इन महिलाओं को ज्ञात नहीं है कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना चलायी जा रही है। इसके साथ–साथ 27 प्रतिशत महिलायें यह मानती हैं कि यदि पैतृक सम्पत्ति में उनका वैधानिक हिस्सा हो तो उन्हें वित्तीय संकट का अधिक सामना न करना पड़े। शहरी क्षेत्र में पैतृक सम्पत्ति से किराये के रूप में एवं ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कृषि भूमि से नियमित आय होती रहती है। जिससे गुजारा होता रहता है। इसके विपरीत 19.33 प्रतिशत महिलाओं ने बड़ें दुःख के साथ व्यक्त किया कि हमारी सभी समस्यायें संसार से विदा होते ही समाप्त हो जायेंगी। अतः हमारा संसार से विदा होना ही श्रेष्ठ है। शेष मात्र 7.66 प्रतिशत महिलायें यह मानती हैं कि उन्होंने अपनी रकम का कुछ भाग लोगों को उधार दे दिया था, अब लोग वापस नहीं कर रहे हैं। अगर यह धन ही वापस मिल जाये तो आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिल सकती है।

अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि महिलाओं की वित्तीय समस्याओं का समाधान उनके बच्चों द्वारा एवं सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता द्वारा ही सफलतापूर्वक सम्भव हो सकता है।

अध्ययन हेतु प्रतिचयित अनुसूचित जातीय महिलाओं से तथ्य एकत्र करते हुए यह अनुभव किया कि महिलाओं की अनेक समस्याओं में सम्प्रेषण–अभाव की समस्या भी प्रमुख है। कहीं आने जाने की स्वतन्त्रता न होने के कारण तथा अधिकत्तर अनुसूचित जाति की महिलाओं के अनपढ़ होने के कारण अखबार आदि न पढने की वजह से महिलाओं को अपेक्षित सूचना नहीं प्राप्त हो पाती है और न ही महिलाओं के विचारों, भावनाओं आदि का दूसरों तक सम्प्रेषण हो पाता है। महिला की इच्छा होती है कि गृहस्थी उसी के द्वारा बनायी गयी है अतः उसे प्रत्येक पारिवारिक गतिविधि को अद्यतन जानकारी होनी चाहिए और उसके आनुभविक विचारों को सभी सदस्यों तक सम्प्रेषित किया जाना चाहिए अर्थात् उसका स्थान केन्द्र में होना चाहिए।

अधिक समय तक बाहर न निकलने के कारण उनमें खालीपन रहने लगता है। अधिकांश महिलायें छोटी–छोटी बातों पर रोने, हँसने एवं कसम खाने की सिद्धहस्त (अभ्यस्त) पायी गयी। उनका यही व्यवहार उनकी लोकप्रियता अथवा संघर्षात्मक सन्दर्भों हेतु उत्तरदायी माना जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर की कहावत को चरितार्थ करती हुए कतिपय महिलायें सीमा से अधिक बोलने में माहिर होती हैं चूँकि उनके पास समय का अभाव नहीं होता है। अतः जो भी व्यक्ति (स्त्री, पुरुष, बच्चें) उनकी पकड़ में आया, घण्टों की फुर्सत हो जाती है। वह महिला से येनकेन प्रकारेण अपना पीछा छुड़ाकर नौ दो ग्यारह होना चाहता है। पुनः महिला के पास आकर उसके सुख–दुःख को सुनने से कतराता रहता है। इसी तरीके की अनेक स्थितियाँ देखी गयीं जो महिलाओं की सम्प्रेषण–अभाव जनित समस्याओं को स्पष्ट करती हैं।

प्रायः महिलायें, महिला होने को जीवन की समस्या, दुःख, बोझ, परेशानी समझकर जीतीं हैं, शिकायतें करती हैं और खींजती–कुढ़ती हैं। पर सच यह है कि यदि सहज रूप से इसे स्वीकार करने की मानसिकता बना ली जाये, तो इसका भी सकारात्मक सार्थक उपयोग किया जा सकता है। घर गृहस्थी के तनावों, जिम्मेदारियों से मुक्त हो, निश्चित जीवन जिया जा सकता है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

वस्तुतः हर उम्र के पड़ाव पर यदि नई–नई जिम्मेदारियाँ हैं, दायित्व हैं, तो उन्हें निभाने के लिए क्षमताओं का विकास भी है। हर उम्र पर व्यक्ति की सोच, भूमिका बदल जाती है, जो बदलनी जरूरी भी है। वरना दायित्व पूरे कैसे होंगे। नये रोल को निभाते समय कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है, स्वभाव व व्यवहार नई परिस्थितियों के हिसाब से बदलना पड़ता है तथा नयी क्षमतायें, मानसिकतायें विकसित भी करनी पड़ती हैं। यही जीवन का क्रम है। बुढ़ापा समस्या और बोझ तब बन जाता है जब हम पुराने से चिपके रहना चाहते हैं, अपने दायित्वों को नये कन्धों पर छोड़ने का भरोसा विकसित नहीं कर पाते। जिजीविषा के चलते, सब कुछ अपने में बटोरे रखने की लालसा के कारण महिलायें अपने बच्चों पर, जो अब तक युवा हो चुके हैं, दायित्व छोड़ पाने का भरोसा नहीं कर पातीं खुद ही सभी जिम्मेदारियाँ उठाना चाहती हैं। न भी उठा पायीं तो भी चाहती हैं कि घर–बाहर के दायित्व उसी तरह निभाये जायें जैसा कि वह अब तक करती आयीं हैं। युवा सदस्यों के काम करने के तरीके में हस्तक्षेप करना, मीन–मेख निकालना, कहना न मानने पर क्रोध करना, खींजना, शिकायतें करना आदि व्यवहार करके महिलायें अपने को खुद ही संकट में डाल, परेशानी मोल लेती हैं। समझदारी की अपेक्षा इस मसले पर बड़ों से ज्यादा होती है– बच्चों से नहीं। बड़ों को ही समझदारी दिखानी चाहिए। आखिर घर परिवार उनका है। उनसे उनके बच्चे शिकायतें पालें व वे स्वयं अपनी सन्तति से दुःख रहें, कुढ़े एकाकी महसूस करें, ये ठीक नहीं है।

घर परिवार की उलझनों में ज्यादा दिमाग खपाना व दिल पर बोझ डालना ठीक नहीं है। महिला होने के कारण वे जिम्मेदारियाँ जो निभानी थीं, निभा दी गयीं, घर परिवार व्यवस्थित कर दिया गया। अब घर–परिवार के दायित्वों को सँभालने का जिम्मा अपने बेटे बहुओं पर डालकर खुद को पठन–पाठन, अपनी उम्र के लोगों की संगत में रहना, अपनी रुचि के कामों को करना व खास करके अपनी सेहत का ध्यान रखने में व्यस्त करना ज्यादा सही है। यदि व्यर्थ की मीन–मेख, टोका–टाकी महिलायें न करें, अपने अनुभव, ज्ञान, मान, सम्मान को अक्षुण्य रख सकते हैं। तब अपनी जरूरत का, महत्व का एहसास भी बच्चों को करा सकते हैं।

अनुसूचित जाति की महिलाओं को भौतिक पदार्थों से आसक्ति का त्याग मानसिक रूप से करना जरूरी है। अब यदि अपने वे शौक पूरे करने का प्रयत्न किया जाये, जिनके लिये वक्त नहीं मिला है, तो जहाँ मन व्यस्त रहेगा, वहीं सार्थकता का एहसास भी होगा।

अपनी भावनात्मक तथा रागात्मक दुनिया की सीमाओं को व्यापक करके बड़ें मजे से जीवन जिया जा सकता है। सुख से जीवन बीते इसके लिए यदि ये भी व्यवस्था कर ली जाये, कि बच्चों पर आर्थिक निर्भरता न रहे, तो बेहतर है, आज का जमाना भौतिकता का है, व्यक्ति भौतिकवादी हो गया है। दिल नहीं, दिमाग से सोचता व काम करता है। कुछ राशि अपने लिये रख लेना समझदारी है, तॉकि अपनी किसी भी जरूरत के लिए बच्चों के सामने हाथ न पसारना पड़े।

अपनी भावनाओं को व्यापकता देना जरूरी है। अब भी घर गृहस्थी को कब्जें में किये रखने के मोह में फंसे रहकर क्लेश–दुःख झेलने से कहीं बेहतर है, किसी उद्देश्य के लिए, रूचि के लिए खुद को समर्पित कर दिया जाये। रचनात्मक दृष्टिकोण के सहारे यदि जीवन जीने का क्रम शुरू से ही रखा जाये, तो जीवन बोझ नहीं बन सकता। नई–नई रचनात्मकता में खुद को खूब रमाये रखा जा सकता है। कतिपय महिलाओं के उपरोक्त विचार असहभागिता की समस्या को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. B.K. Paul : Problems . and concerns of Indian women D.K. Publishers New Delhi.
2. F. Brilliant : Women in Power, D.K. Publishers New Delhi.
3. Handwerker : Women's power and social Revolution sage Publication, New Delhi
4. Inderjeet Kaur : Status of Hindu women in India, D.K. publishers, New Delhi
5. M.P. Singh : Women's oppression men Responsible, D.K. Publishers, New Delhi.
6. N.J. Usha Rao : Women in developing society D.K. Publishers, New Delhi
7. P. Sharma : Family and welfare programme in India Deep and Deep D.K. Publishing, New Delhi
8. Usha S.K. : Women and Socialisation A Study of their status and rule power castes of Ahemdabad D.K. Publishers, New Delhi
9. Vidyalata : Developing Rural women 1990 Indian Books and Periodical, New Delhi
10. V.S. Mahajan : Women's Contribution to India's and Social Development Deep and Deep Publication, New Delhi
11. कपाड़िया, के.एम. : मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डियन (द्वितीय एडीशन) बॉम्बे ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, 1958
12. नाटाणी, प्रकाशनारायण : मानवाधिकार एवं महिलाएँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दल्ली
13. संतोष यादव : उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति डी. के. प्रकाशन नई दिल्ली
14. शीला मिश्रा : महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता एवं विविध राजनीतिक दल, डी. के. प्रकाशन नई दिल्ली।
15. रमा सिंह : शिक्षित हिन्दू महिलाओं एवं धर्म एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, डी.के. प्रकाशन, नई दिल्ली
16. व्होरा, आशारानी : भारतीय नारीः दशा–दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

*****